SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, let there be a discussion on this.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Stop agitating.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, let there be a discussion on this. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Question No. 108.

सेना में आई.एस.आई. के जासूसों की गिरफ्तारी

*108. **श्री हरिवंश :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सेना में आई.एस.आई. के लिए जासूसी करने के आरोप में कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं;

(ख) क्या जासूसी का मामला पहले भी चल रहा था या इसका हाल में ही पता चला है; और

(ग) अब तक किन-किन क्षेत्रों की जासूसी किए जाने का मामला सामने आया है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रिकर): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, पाकिस्तानी आसूचना गुप्तचरों के इशारे पर जासूसी गतिविधियों में कथित संलिप्तता हेतु तीन सेवारत सेना कार्मिकों को गिरफ्तार किया गया है।

जासूसी की ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। सैन्य कार्मिकों को पाकिस्तानी आसूचना गुप्तचरों द्वारा अपनाई जा रही कार्य प्रणाली के संबंध में नियमित रूप से जानकारी दी जाती है। इसके अलावा, इस तरह की जासूसी गतिविधियां, सेना तैनाती, संचलन एवं प्रशिक्षण अभ्यासों, वरिष्ठ अफसरों की नियुक्ति, विरचना संकेत, रणनीतिक संख्या आदि जैसी रक्षा संबंधी सूचना मुहैया कराए जाने से संबंधित है।

Arrest of ISI spies in the Army

†*108. SHRI HARIVANSH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of persons apprehended in the Army, on the charge of spying for ISI;

(b) whether spying had already existed in the past or it has come to the fore recently; and

(c) what are the areas regarding which spying has come to light, so far, and the reasons therefor?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) During the last three years and the current year, three serving Army personnel have been arrested for alleged involvement in spying activities at the behest of Pakistan Intelligence Operatives.

Such incidents of spying have existed in the past also. Service personnel are regularly educated on the *modus operandi* being adopted by the Pakistan Intelligence Operatives. Further, such spying activities are related to providing defence related information like Army deployment, movement and training exercises, appointment of senior officers, formation sign, tactical number etc.

श्री हरिवंशः माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल यह है कि आईएसआई के लिए जासूसी करने के नाम पर सेना के जो मौजूदा या रिटायर्ड लोग पकड़े गए हैं, क्या उनके एक-एक मामले को गहराई और गौर से देखा गया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सेना में किस स्तर के कितने लोग इस तरह के काम में प्रामाणिक तौर पर शरीक पाए गए, कितनी गोपनीय सूचनाएं बाहर गईं और देश का कितना नुकसान हुआ? या यह एक प्रचलन जैसा हो गया है कि किसी भी मामले में कोई पकड़ा जाए, हम आईएसआई का नाम लगा दें?

श्री मनोहर पर्रिकरः सभापति जी, जो लोग पकड़े गए हैं, उनकी involvement आईएसआई से establish हुई है and the are cases also filed on them. In cases of Army, the current serving people have been mostly terminated from services after conducting proper court of inquiry. In case of Air Force, there were two people who were monitored by Air Force and their services have been terminated.

श्री हरिवंशः सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे तीनों सवाल बड़े साफ और स्पष्ट हैं, परंतु खेद के साथ कह रहा हूं कि उनके उत्तर पहले की तरह अस्पष्ट हैं। यदि आप सवालों के उत्तर पढ़ने की और सवाल पढ़ने की इजाजत देते, तो मैं स्पष्ट करता। मैंने अपने पहले सप्लीमेंट्री में आशंका व्यक्त की थी कि अनेक ऐसे मामले आते हैं, जिन पर लगता है कि बगैर जांच किए ही हम कह देते हैं कि यह आईएसआई का मामला है। मैं सिर्फ दो तथ्य रखना चाहूंगा कि 16 दिसम्बर, 2015 को राज्य सभा के हवाले से एक खबर छपी थी, जिसमें गृह मंत्री श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने कहा था कि eleven serving and retired Army personnel arrested in three years for being ISI moles. अब माननीय डिफेंस मिनिस्टर ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है, "During the last three years, and the current year, three serving Army personnel have been arrested for alleged involvement in spying activities at the behest of Pakistani Intelligence Operations." Sir, एक ही सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों, रक्षा मंत्री और माननीय गृह राज्य मंत्री के एक ही प्रश्न पर अलग-अलग बयान आए हैं। सभापति जी, यह देश जानना चाहता है कि सच और तथ्य क्या है?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I think, the questions are different. This is regarding serving Army officers and it refers to the last three years. I stand by my question that serving three Army officers have been arrested spying for ISI. Seven ex-Army personnel have been arrested besides these three. They are ex-servicemen. They are not serving Army personnel.

श्री माजीद मेमनः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि तीन serving Army personnel को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सिक्युरिटी के दृष्टिकोण से बहुत ही गंभीर मामला है। मेरा सवाल है कि this spying by Army personnel को रोकने के लिए हमने क्या स्टेप्स उठाए हैं, जिससे कि आगे ऐसा न हो?

श्री मनोहर पर्रिकरः सभापति जी, मुझे लगता है कि रोकने के लिए काफी हद तक, If you See these personnel, who have been arrested, they are normally not very high ranking officers. They are Army personnel who are basically Jawans and JCOs, and many of them have been trapped into these activities. So, we are sensitizing Army personnel on not getting into or falling into the trap.

श्री अविनाश राय खन्नाः सभापति जी, धन्यवाद। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि उनकी सर्विसेज़ टर्मिनेट कर दी गई हैं। जो स्पाइंग करते हैं, जो कि देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, क्या इन लोगों की सर्विसेज़ को टर्मिनेट करना sufficient सजा है? क्या उन लोगों द्वारा कमाया गया पैसा, बनाई गई प्रॉपर्टी को confiscate करके, सरकार को देना ठीक होगा, ताकि बाकी लोगों एक बड़ा मैसेज जाए कि अगर वे स्पाइंग में पकड़े गए तो उनका भी वही हश्र होगा, जो इन लोगों का हुआ है? क्या इसमें एक कड़ी सजा का प्रावधान है या नहीं है?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Against them, cases in District Courts, under various Sections of IPC are pending. एक को तो आर्मी ने डिसमिस करने के बावजूद 7 वर्ष की कड़ी सजा दी है। डिसमिस करना एक मिनिमम requirement है। We have also given them punishment like one person has been sentenced seven years' rigorous imprisonment. As per the law, whatever provisions are there, we follow them.

श्री जावेद अली खानः माननीय सभापति जी, यह मामला गम्भीर है और चिंताजनक भी है। मैं माननीय गृह मंत्री से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जासूसी की ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और अब भी हुई हैं, यानी यह क्रम लगातार चल रहा है, तो इसमें rate of conviction क्या है? हम जिन जासूसों को पकड़ते हैं, उनमें अब तक कितने फीसदी को सजा होती है और कितने फीसदी छूट रहे हैं?

†**جناب جاوید علی خان :** مانّنے اپ سبھا پتی جی، یہ معاملہ گمبھیر ہے اور چنتاجنک بھی ہے۔ میں مانّنے منتری جی سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جاسوسی کی ایسی گھٹنائیں پہلے بھی ہوتی ہیں اور اب بھی ہوتی ہیں، یعنی یہ کام لگاتار چل رہا ہے، تو اس میں rate of conviction کیا ہے؟ ہم جن جاسوسوں کو پکڑتے ہیں، ان میں اب تک کتنے فیصدی کو سزا ہوتی ہے۔ اور کتنے فیصدی چھوٹ رہے ہیں؟

†Transliteration in Urdu Script.

श्री मनोहर पर्रिकरः सर, आर्मी की Court of Inquiry से हरेक को punishment हुई है। जो मामला सिविल कोर्ट में होता है, उसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन तीन वर्ष के सभी मामलों में, the cases are going on. Since they are not completed, we are not aware as to how many will be punished. That will be known only after the process is completed.

श्री जावेद अली खानः अब तक कितने मामले पकड़े गए हैं?

†جناب جاوید علی خان : اب تک کتنے معاملے پکڑے گئے ہیں؟

MR. CHAIRMAN: Can the information be collected and given?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Sir, the question pertains to last three years. In respect of these three years, everyone has been punished under the Army Act either by termination or by rigorous imprisonment. Sir, chargesheets have been filed. The cases are going on in the Courts and punishments have not been awarded as yet. But there are chargesheets filed against them.

Advancement in reporting time for air travellers at airports

*109. SHRI AK. SELVARAJ: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in view of the recent security alert in the country after the Pathankot attack, air travellers will now have to report at airports much earlier;

(b) whether it is also a fact that Air India had asked its passengers to report three hours before their flights scheduled departure time, if so, the details thereof; and

(c) whether it is also a fact that the enhanced security remained in place only up to the Republic Day?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU PUSAPATI): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) There is no laid down regulation on the reporting time for air travelers at airports. It is the operational requirement of the airlines to suitably inform air passengers to report at airports early so as to make it convenient for them to complete all procedural formalities including security checks before they board the aircraft.

(b) With a view to avoid inconvenience to air passengers due to the recent security

†Transliteration in Urdu Script.